फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

जगदीश चंद्र पुत्र रामनिवास तेली निवासी शाहपुरा

बनाम

छाऊ पत्नी खाना धाकड़ निवासी रोपा वगैरह

केस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 212 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
01-05-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम रोपा द्वीतीय प.ह. रोपां आराजी सं. 383/2 कुल किता 01 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम रोपा द्वीतीय प.ह. रोपां आराजी सं. 383/2 कुल किता 01 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/ 212 2024 दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय– प.स. 212 / 2024 अनवान, जगदीश चंद्र पुत्र रामनिवास तेली निवासी शाहपुरा बनाम छाऊ पत्नी खाना धाकड़ निवासी रोपा, छीतर पुत्र हजारी धाकड निवासी रोपा, छोटू पुत्र भूरा धाकड़ निवासी रोपा, देबी लाल पुत्र भूरा धाकड निवासी रोपा, नन्दा पिता रामेश्वर धाकड़ निवासी रोपा, पानी देवी पत्नी रामेश्वर धाकड निवासी रोपा, पीरु पुत्र काशी धाकड़ निवासी रोपा, बरदू पुत्र प्रताप धाकड़ निवासी रोपा, मनोहर पुत्र घीशु धाकड़ निवासी रोपा , मोड़ पुत्र धूकल धाकड निवासी रोपा, रुकमा पत्नि घीसु धाकड़ निवासी रोपा, राजी पत्नी हीरालाल धाकड निवासी रोपा, रामचंद्र पुत्र प्रताप धाकड़ निवासी रोपा, रामरतन पुत्र जगन्नाथ धाकड़ निवासी रोपा, रामा पुत्र प्रताप धाकड़ निवासी रोपा, लाली देवी पत्नी उदा धाकड़ निवासी रोपा, सत्यनारायण पुत्र धूकल धाकड निवासी रोपा, समोक पुत्र रामेश्वर धाकड़ निवासी रोपा, सूरज पत्नी धूकल धाकड़ निवासी रोपा, सुरज्या पुत्र काशी धाकड़ निवासी रोपा, शायरी पुत्री रामेश्वर धाकड़ निवासी रोपा, सावता पुत्र रामेश्वर धाकड़ निवासी रोपा, सांवरा पुत्र खन्ना धाकड़ निवासी रोपा, सीता पुत्री धूकल धाकड़ निवासी रोपा, हरजी पुत्र प्रताप धाकड़ निवासी रोपा, गणपति पुत्र छीतर खटीक निवासी रोपा, गीता पुत्री छीतर खटीक निवासी रोपा, पवन कुमार पुत्र गोपाल खटीक निवासी रोपा, लाली पुत्री छीतर खटीक निवासी रोपा, विनोद कुमार पुत्र गोपाल खटीक निवासी रोपा, विष्णु पुत्री गोपाल खटीक निवासी रोपा, शांति देवी पत्नी गोपाल खटीक निवासी रोपा, ग्राम पंचायत रोपा महफूज चरनोट जरिये संस्था के लिए, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम रोपा द्वीतीय प.ह. रोपां आराजी सं. 383/2 कुल किता 01 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे,। **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें।** तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा